सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या–4272/रा0नि0आ0–3/1452/2013 दिनांक:03 मार्च, 2020

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम–2007 एवं संशोधित अधिनियम–2016 की धारा–8 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010 के नियम 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज अनुभाग की अधिसूचना **संख्या–298/XII(1)-2020-86(26)/2016 दिनांक 10 फरवरी, 2020** द्वारा अधिसूचित जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों (**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–जिला पंचायत, हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर**) की जिला योजना समितियों के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज विभाग की **अधिसूचना संख्या–429/XXI(1)–2020–86(26)/2016 दिनांक 28 फरवरी, 2020** के क्रम में नीचे विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ:–

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
13 मार्च, 2020 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	**14 मार्च, 2020** (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	**16 मार्च, 2020** (पूर्वाह्न 11.00बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	**18 मार्च, 2020** (पूर्वाह्न 08.00बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	**18 मार्च, 2020** (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से शासन की उक्त अधिसूचना **संख्या–298/XII(1)-2020-86(26)/2016 दिनांक 10 फरवरी, 2020** में निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के पदों की संख्या देते हुए निर्धारित **प्रपत्र–1** पर सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से देवनागरी लिपि में हिन्दी में **दिनांक 05.03.2020** को निर्गत करेंगे और उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के मुख्यालयों के सूचना पट्टों में निर्गत सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चस्पा कर भी प्रदर्शित करायेंगे।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं संशोधित अधिनियम, 2016 तथा तद्धीन बनायी गयी "उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010" के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र एवं तत्सम्बन्धी निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

4. मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः 2

संख्या–4272 /रा0नि0आ0–3/1452/2013 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल नैनीताल।
10. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड को संलग्न **प्रपत्र–1** की प्रति सहित।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स को निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।
14. समस्त सचिव, जिला योजना समिति/जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखण्ड।
15. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
16. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस अधिसूचना को राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित करा दें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. गार्ड फाइल अनुभाग–3

आज्ञा से,

(हिमाली जोशी पेटवाल)
उप सचिव।

अधिसूचना संख्या–4273/रा0नि0आ0–3/1452/2013 दिनांक **03.03.2020** का संलग्नक

प्रपत्र–1
[नियम 10]

जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

चूंकि जिला...में जिला पंचायत और नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नानुसार निर्धारित कुल संख्या........................ में सदस्य/सदस्यों को निर्वाचित किया जाना हैः–

(क) **जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र...................................से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या........................**

(ख) **नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से विभिन्न नगरीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या..**

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नलिखित हैं:–

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम सम्मिलित नगर निकाय का नाम निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या

1–
2–
3–
4–

अतः मैं ....निर्वाचन अधिकारी उक्त निर्वाचन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना देता हूँ–

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

(1) नाम–निर्देशन–पत्र अधोहस्ताक्षरी को ....(स्थान) पर दिनांक.............................. से दिनांक ....को....................बजे पूर्वान्ह से..बजे अपरान्ह तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम–निर्देशन –पत्रों की जॉच का काम..(स्थान) पर दिनांक..को ....बजे पूर्वान्ह से प्रारम्भ होगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह दिनांक.. को...........................बजे पूर्वान्ह से..............................बजे अपरान्ह तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है।

(4) यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान ....(स्थान) पर दिनांक..... ....को ....बजे पूर्वान्ह से ....बजे अपरान्ह के बीच होगा।

(5) मतगणना ....(स्थान) पर दिनांक ....को मतदान समाप्ति के बाद प्रारम्भ की जायेगी

दिनांक..................................

पता..

नाम–निर्देशन–पत्र के प्रपत्र–2 दिनांक.......................................से दिनांक...तक.....................बजे पूर्वान्ह से......................................बजे अपरान्ह तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

....

....

निर्वाचन अधिकारी(जि0यो0स0)
का नाम, हस्ताक्षर व मोहर